प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.11.2025

सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता हेतु वॉकथॉन का आयोजन

उत्तर प्रदेश शासन एवं यातायात निदेशालय, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में यातायात माह नवंबर-2025 के अवसर पर आज **गाज़ियाबाद यातायात पुलिस द्वारा सिविल डिफेन्स** के सहयोग से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु एक **विशाल वॉकथॉन** का आयोजन किया गया। वॉकथॉन का शुभारम्भ प्रातः **08:00 कविनगर रामलीला मैदान** से किया गया, जो शास्त्रीनगर चौराहा – हापुड़ चुंगी – कविनगर सी-ब्लॉक मार्केट – KDB तिराहा होते हुए पुनः कविनगर रामलीला मैदान पर संपन्न हुई।

इस वॉकथॉन में बड़ी संख्या में **नागरिकों, जनप्रतिनिधियों** प्रमुख रूप से माननीय सांसद लोक सभा श्री अतुल गर्ग, माननीय पूर्व सांसद राज्य सभा श्री अनिल अग्रवाल, मेयर गाजियाबाद श्रीमती सुनीता दयाल, माननीय विधायक शहर श्री संजीव शर्मा, माननीय विधायक मुरादनगर श्री अजीत पाल त्यागी, माननीय विधायक लोनी श्री नंदकिशोर गुर्जर, महानगर अध्यक्ष श्री मयंक गोयल, **पुलिस/प्रशासनिक** अधिकारियों, **सिविल डिफेन्स** कोर्डिनेटर श्री ललित जायसवाल/वॉलंटियर्स, DVF टीम वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, प्रशिक्षणरत आरक्षियों, सभी थानों से आमंत्रित संभ्रांत व्यक्तियों, ट्रांसपोर्ट/औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं विभिन्न स्वंय सेवी सगठन के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त आई0टी0एस0 कॉलेज एवं पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र-छात्राओं ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

वॉकथॉन के दौरान **एनसीसी कैडेट्स एवं स्कूल/कॉलेज** के छात्र-छात्राओं द्वारा हाथों **में यातायात नियमों से संबंधित दफ्तियाँ, तथा तिरंगा झंडा** लेकर सड़क सुरक्षा जीवन एवं यातायात नियमों का पालन किये जाने का सन्देश देते हुए राहगीरों एवं आमजन को सड़क सुरक्षा, हेलमेट/सीटबेल्ट उपयोग, ओवरस्पीडिंग से बचाव तथा यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। **वॉकथॉन** के उपरांत कविनगर रामलीला मैदान में **पुलिस मॉडर्न स्कूल** पुलिस लाइन्स के छात्र/छात्राओं एवं **राहुल खन्ना एजुकेशन ट्रस्ट** के थिएटर/सिनेमा एक्टर श्री राहुल खन्ना एवं टीम द्वारा **नुक्कड़ नाटक** के माध्यम से आमजनों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरुक कर पालन किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

वॉकथॉन का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध लोकगीत गायक, **श्री मासूम शर्मा** तथा भारतीय कबड्डी खिलाड़ी, **श्री राहुल चौधरी** रहे, जिनकी उपस्थिति ने वॉकथॉन में ऊर्जा व उत्साह का संचार किया।

अपील:-

यातायात पुलिस, गाज़ियाबाद सभी नागरिकों से अपील करती है, कि स्वयं की तथा दूसरों की सुरक्षा हेतु सदैव यातायात नियमों का पालन करें।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 15.11.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र नारायण भगत चौरसिया निवासी गली नंबर-04 अम्बेडकर कॉलोनी टीला मोड़ थाना टीला मोड़ गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम चकिया कल्याणपुर पोस्ट भुवन छपरा जनपद मोतिहारी चम्पारण बिहार उम्र करीब उम्र 20 वर्ष को नोली रेलवे स्टेशन के पास चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं काफी समय से चोरी छुपकर दिल्ली से गांजा की तस्करी करता हूँ। दिल्ली से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दिल्ली के आस पास के यूपी क्षेत्र में मंहगे दामों मे बेच देता हूँ। आज मैं यह गांजा आस पास के क्षेत्र में फुटकर में लोगो को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धीरज कुमार पुत्र नारायण भगत चौरसिया निवासी गली नंबर-04 अम्बेडकर कॉलोनी टीला मोड़ थाना टीला मोड़ गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम चकिया कल्याणपुर पोस्ट भुवन छपरा जनपद मोतिहारी चम्पारण बिहार उम्र करीब उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर अवैध गांजा की तस्करी करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.11.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री को सलमान पुत्र महफूज अपने साथ बहलाफुसला कर ले गया, जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड पर धारा

137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना क्रम में दिनांक 15.11.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित 01 अभियुक्त सलमान पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला चांद पुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच हाल पता रामकुमार पाल का मकान पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिकंरोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को साहिबाबाद मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त अपने मौसा जलीमुद्दीन उर्फ पिन्टू पुत्र हलीम नि0 ग्राम अरबरा थाना चांचल जिला मालदा पश्चिमी बंगाल एवं मौसी नगमा के साथ रामकुमार पाल के किराये के मकान ग्राम साहिबाबाद में रहता है उसा मकान की पहली मंजिल पर वादी की नाबालिग पुत्री अपने माता पिता के साथ किराये पर रहती है, पिछले करीब दो वर्ष से अभियुक्त व वादी की नाबालिग पुत्री की आपस में दोस्ती थी। दिनांक 08.11.2025 को अभियुक्त मौका पाकर वादी की नाबालिग पुत्री को घुमाने फिराने का बहाना बता कर अपने साथ ले गया और उसके बाद अभियुक्त व वादी की नाबालिग पुत्री साथ रहने लगे, उसी दौरान दोनों के शारीरिक सम्बन्ध बन गये थे। दिनांक 13.11.2025 को अभियुक्त उपरोक्त वादी की नाबालिग पुत्री को लेकर अपने घर जाने के लिए कौशाम्बी बस अड्डे पर आया था जहां से पुलिस होने का पता चलने पर अभियुक्त उपरोक्त वहाँ से निकल गया था बाद में पात चला कि पुलिस वादी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ ले गयी। इसीक्रम में आज अभियुक्त अपने दोस्त से पैसा लेने साहिबाबाद मण्डी आया था तथा पैसे लेकर अपने गांव जा रहा था तभी पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सलमान पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला चांदपुरा थाना कोतवाली नगर बहराइच हाल पता रामकुमार पाल का मकान पुराना शिव मन्दिर के पास धारा वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिकंरोड गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना लिकंरोड पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित 01अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिकंरोड पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 55,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 29.07.2025 को आवेदक रवि सिंह निवासी सेक्टर 01 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद का मोबाइल फोन हैक करके 55,000/- रुपये ट्रांसफर कर ऑनलाइन ठगी कर साइबर फ्रॉड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर आवेदक रवि सिंह निवासी सेक्टर 01 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के द्वारा थाना कौशाम्बी पर मोबाइल फोन हैक करके 55,000/- रुपये ट्रांसफर कर ऑनलाइन ठगी कर साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में धारा 318(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट के अन्तर्गत

अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 16.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 55,000/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 25000/- की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 16.11.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री प्रवीण त्यागी निवासी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 25000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री प्रवीण त्यागी के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 16.11.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 25000 /- रू की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रोसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना क्रोसिंग रिपब्लिक।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से जान से मारने की नीयत से हमला करने में प्रयुक्त 01 सब्बल एवं 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही की विवरणः- दिनांक 14.11.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी प्रेम कुमार पुत्र हरदेव द्वारा लिखित तहरीर दी गयी और बताया गया कि मेरा छोटा भाई राजाकुमार जो कि जायको फ्लैक्सी टयूब कंपनी में नौकरी करता है, उसे और उसके साथ काम करने वाले शुभम को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड के द्वारा सिर पर हमला कर घायल कर दिया दोनों घायल अस्पताल में उपचाराधीन है। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 109(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटनाक्रम में दिनांक 15/16.11.2025 की रात्रि को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जायको फ्लैक्सी ट्यूब (पीएल) कम्पनी साईट-4 औधोगिक क्षेत्र साहिबाबाद गाजियाबाद में वादी के छोटे भाई राजाकुमार व उसके साथी के साथ जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 अभियुक्त राहुल पुत्र गुलवीर निवासी ग्राम जटोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ हाल पता मोहित पाण्डे का मकान उमेश पार्क मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को इन्द्रप्रस्थ कॉलेज कट से जान से मारने की नीयत से हमला करने में प्रयुक्त , 01 सब्बल एवं 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र गुलवीर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त राहुल पुत्र गुलवीर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त राहुल साईट 4 औधोगिक क्षेत्र में जायको फ्लैक्सी टयूब कंपनी में काम करता था जहाँ पर एक राजा नाम का लडका भी काम करता था जिससे आये दिन किसी न किसी बात पर अभियुक्त का लडाई-झगडा हो जाता था तथा राजा ने एक दिन अभियुक्त को माँ बहन की गाली दी। इन्ही सब बातों के चलते कम्पनी के मालिक ने अभियुक्त को नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी जाने व राजा द्वारा किये गये व्यवहार से अभियुक्त मानसिक रुप से परेशान हो गया और राजा से बदला लेना चाहता था। इसलिए दिनाँक 10/11/2025 की रात्रि को अभियुक्त राजा को मारने के उद्देशय से कंपनी में कूदा और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर वहीं छिप गया। उसी समय अभियुक्त ने राजा को बाथरुम से बाहर निकलते देखा और वहीं पास साईड में रखा लोहे का सब्बल(लोहे की रॉड) उठाकर राजा के सिर पर मार दिया। जिससे राजा बेहोश होकर गिर गया उसके बाद अभियुक्त नीचे आया तो सामने शुभम भी जाग गया था, जिसने अभियुक्त को देख लिया था इसीलिए अभियुक्त ने सब्बल का एक वार शुभम के सिर पर किया जिससे शुभम भी गिर गया। अभियुक्त को पहले से पता था कि लैपटाँप की बराबर में कम्पनी मालिक की स्कूटी की चाबी रखी रहती है। अभियुक्त ने स्कूटी को लेकर तथा कंपनी में लगे सीसीटीवी का डीवीआर जोकि ऑफिस की छत पर लगा था, लेकर फरार हो गया अभियुक्त स्कूटी को दिल्ली बेंचने जा रहा था कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल पुत्र गुलवीर निवासी ग्राम जटोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ हाल पता मोहित पाण्डे का मकान उमेश पार्क मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

जान से मारने की नीयत से हमला करने में प्रयुक्त 01 सब्बल एवं घटना के बाद भागने मे प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड पर जान से मारने की नीयत से हमला करने की घटना कारित करने से सम्बन्धित 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए पीली धातु के 02 कड़े व 01 चैन, सफेद धातु 19 सिक्के, 15 नोट विदेशी करेंसी, सफेद मोतियों की मालायें, 01 बैटरी व 01 इनवर्टर व 05 नल की टौटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 01.11.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री मयंक गुप्ता पुत्र बी0के0 गुप्ता नि0 ए-191 सूर्यनगर थाना लिंकरोड गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से किचन व बाथरुम की टोंटियाँ तोड़कर, इनवर्टर, बैटरी, आभूषण (गोल्ड), चांदी के सिक्के व नकद 1.5 लाख रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटनाक्रम में आज दिनांक 16.11.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान वादी के घर में घुसकर चोरी करने वाले 04 अभियुक्त 1. संजय उर्फ संजू पुत्र राजेश निवासी म0नं0 106 विक्रम एन्क्लेव बंद गली थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष, 2. आकाश पुत्र राजेश निवासी म0नं0 106 विक्रम एन्क्लेव बंद गली थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष, 3. समीर उर्फ बग्गा पुत्र लियाकत अली निवासी ई 43 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष व 4. सलमान उर्फ नाटा पुत्र इमरान निवासी डी-161 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को रामपुरी रेलवे लाइन के पास से चोरी किये हुए पीली धातु के 02 कड़े व 01 चैन, सफेद धातु 19 सिक्के, 15 नोट विदेशी करेंसी, सफेद मोतियों की मालायें, 01 बैटरी व 01 इनवर्टर व 05 नल की टौटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में धारा 331(4), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि चारों अभियुक्तों ने वादी के घर से चोरी किये हुये रुपये, आभूषण, इन्वर्टर, बैटरी व टोटियों आदि चोरी किये थे। जिसमें से चोरी किये गये इन्वर्टर, बैटरी व टोटियों को रामपुरी रेलवे लाईन के किनारे झाड़ियों में छुपा दिया था। जिसे अभियुक्तों की निशानदेही से बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्तों ने सोने व चाँदी के आभूषण को सीमापुरी के एक सुनार को 01 लाख 20 हजार रुपये में बेच दिया था और उन पैसों को तथा घर से चोरी किये हुये करीब 01 लाख रुपयों को सभी ने आपस में बांट लिया था तथा सुनार का नाम पूछने पर आकाश उपरोक्त ने बताया कि सुनार का नाम प्रदीप वर्मा है जो दिल्ली जल बोर्ड के पास न्यू सीमापुरी दिलशाद गार्डन दिल्ली में रहता है तथा 01 बैटरी, कुछ बर्तन व अन्य सामान को अभियुक्तों ने मस्जिद के पास न्यू सीमापुरी में कबाड़ की दुकान पर बेच दिया था। जिसका कबाड़ी का नाम डालिम है जो मस्जिद के पास न्यू सीमापुरी में कबाड़ की दुकान लगाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. संजय उर्फ संजू पुत्र राजेश निवासी म0नं0 106 विक्रम एन्क्लेव बंद गली थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आकाश पुत्र राजेश निवासी म0नं0 106 विक्रम एन्क्लेव बंद गली थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
3. समीर उर्फ बग्गा पुत्र लियाकत अली निवासी ई 43 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र करीब 20 वर्ष।
4. सलमान उर्फ नाटा पुत्र इमरान निवासी डी-161 डी ब्लॉक न्यू सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी किये हुए पीली धातु के 02 कड़े व 01 चैन, सफेद धातु 19 सिक्के, 15 नोट विदेशी करेंसी, सफेद मोतियों की मालायें, 01 बैटरी व 01 इनवर्टर व 05 नल की टौटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत हैं। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त आकाश पुत्र राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त समीर उर्फ बग्गा पुत्र लियाकत अली के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ व थाना साहिबाबाद पर चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग तथा थाना शालीमार गार्डन पर चोरी, चोरी का माल बरामद होने व आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में 07 अभियोग पंजीकृत है। कुल 09 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उर्फ नाटा पुत्र इमरान उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना शालीमार गार्डन पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।